महत्वपूर्ण

संख्या–एम–79 /9–9–2011–203ज/12

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2012**

विषय– नागर निकायों में विद्युत के दुरूपयोग पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासनादेश संख्या एम0–67/नौ–9–2011–203ज/12 दिनांक 25 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नागर निकायों में विद्युत के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि माह अगस्त, 2012 से नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का उस समय तक भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक नगर निगमों के सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषदों के समस्त अधिशासी अधिकारी, लिखित रूप से इस आशय का आश्वासन न दे दें कि उनके कार्यालयों में दिन में अकारण कोई बल्ब और निकाय क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तथा सड़कों पर जलने वाली लाइट शत्–प्रतिशत सुबह नियत समय पर ही बन्द कर दी जायेगी और यदि किसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद के कार्यालय में विद्युत बल्ब या स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हुई पायी जाएगी तो वहां बिजली के बिलों का भुगतान, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) सभी के वेतन से कराया जाएगा।

2. उक्त निर्देश दिनांक 25 जुलाई, 2012 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने के कारण यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि स्ट्रीट लाइट दिन में भी बन्द नहीं की जा रही है और अधिकतर लाइट बराबर कई–कई दिनों तक जलती रहती है। **यह बड़े खेद का विषय है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी विद्युत के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।**

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में विद्युत के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण न होने की स्थिति में मूलरूप से जिम्मेदारी नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की होगी और नगर निगम पर रू0 20,000/–, नगर पालिका परिषदों पर रू0 10,000/– एवं नगर पंचायतों पर ——

रू0 5,000/– तक की धनराशि शासकीय क्षति के रूप में दण्ड स्वरूप सम्बन्धित दोषी एवं उत्तरदायी अधिकारी के वेतन से नियमानुसार वसूल की जायेगी। साथ ही शासन द्वारा सम्बन्धित नागर निकाय को दी जाने वाली अनुदान राशि में भी कटौती पर विचार किया जा सकता है।

उक्त ओदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
4. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

25/01/2021

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।